वेकटरमण बनाम मद्रास राज्य और अन्य
आल इंडिया रिपोर्टर 1951 एस.सी. 229

तथ्य

राज्य सेवा में नियोजन के मौलिक अधिकार के अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए याचिकादाता ने अनुच्छेद 12 के अधीन आवेदन किया।

याचिकादाना गणित का स्नातक था। उसके पास बी.एल. की डिग्री भी थी और 7 वर्षो से अधिक समय से वह एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा था।

1949 में मद्रास लोक सेवा आयोग ने मद्रास सवार्डिनेट जुडिशिलय सर्विस में डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ के 83 पदों के लिए आवेदन मांगे। 83 पदों में से 12 पद मद्रास सिविल जुडिशयल सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए अलग कर दिए गए। शेष 71 पद रिसीवर, सहायक लोक अभियोजक (असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर) और वकालत करने वाले व्यक्तियों से भरे जाने थे। यह भी अधिसूचित किया गया था कि उम्मीदवारों का चयन विभिन्न जातियों, धर्मो और समुदायों से किया जाएगा। सामुदायिक सरकारी आदेशों में निश्चित किए गए नियमों के अनुसार 19 हरिजन, 5 मुसलमान, 6 ईसाई, 19 पिछड़े वर्ग के हिन्दू, 32 अन्य ब्राह्मण हिन्दू और 11 ब्राह्मण लिए जाने थे।

यह स्वीकार किया गया कि याचिकादाता ने जितने अंक प्राप्त किए हैं, उनके आधार पर, यदि सामुदायिक सरकारी आदेश के उपबन्धों की उपेक्षा की जाती तो वह चुन लिया जाता। यह भी दावा किया गया कि मौखिक परीक्षा में भी उसने बहुत अच्छा किया था।

1950 में प्रकाशित परिणाम में चुने गए उम्मीदवारों के नाम दिए गए (शेष 71 पदों के लिए)। प्रत्येक समुदाय के आधार पर हरिजन 1, मुसलमान 7, ईसाई 4, पिछड़े वर्ग के हिन्दू 13, अन्य ब्राह्मण 32 और ब्राह्मण 4, चुने गए।

इसलिए याचिकादाता ने अपनी याचिका में यह प्रार्थना की कि सामुदायिक चक्र का नियम, जिनके आधार पर जिला मुंसिफों के पदों का चुनाव किया गया, असंवैधानिक घोषित किया जाए।

विवाद्यक (ईश)

क्या मद्रास सामुदायिक सरकारी आदेश, जिसके द्वारा राज्य सरकार की सेवा में विभिन्न समुदायों के लिए (जो पिछड़े वर्गों में नहीं आते) उनके वंश, जाति और धर्म के अनुसार आरक्षण किया गया है, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है।

निर्णय

7 न्यायाधीशों की बेंच ने, जिनमें मुख्य न्यायाधीश, सर्व-न्यायमूर्ति कानिया, फजल अली, पंतजलि शास्त्री, महाजन, बी.के. मुखर्जी, एस.आर. दास और बोस थे। यह विचार व्यक्त किया कि उक्त सामुदायिक सरकारी आदेश अनुच्छेद 16 के प्रतिकूल है इसलिए अमान्य और गैर कानूनी है। न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित कारणों पर आधारित था:-

(1) सरकारी नौकरियों में समानता के अवसर की गारंटी अनुच्छेद 16(1) में दी गई है और अनुच्छेद 16 (2) में यह भी गारंटी दी गई है कि इस मामले में धर्म, वंश, जाति, स्त्री- पुरुष जन्म स्थान या निवास-स्थान के कारण कोई भेदभाव न किया जाएगा

(2) किसी पद के लिए केवल जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को अपात्र मानना अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन है।

(3) अनुच्छेद 16 (4) में पिछड़े वर्गों, अर्थात राज्य सरकार की राय में जिन लोगों का उचित प्रतिनिधित्व राज्य सरकार की सेवाओं में नहीं है। उनके लिए पदों के आरक्षण की स्पष्ट व्यवस्था है। इसमें उन व्यक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है जो इस श्रेणी में आते हैं और न सरकार सामुदायिक आधार पर पदों का आरक्षण कर सकती है। समुदायों में एक निश्चित अनुपात से पदों का विभाजन अनुच्छेद 16 (1) और 16 (2) का उल्लंघन है।

अत: न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में अपना निर्णय दिया :

"हमारी राय में सामुदार्यिक सरकारी आदेश द्वारा उत्पन्न इस अपात्रता की स्वीकृति अनुच्छेद 16(4) में नहीं दी गई है और इस याचिकादाता को एक नागरिक के रूप में अनुच्छेद 16 (1) और 16 (2) के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण है। हमारी राय में यह सामुदायिक सरकारी आदेश अनुच्छेद 16 के उपबंधों के प्रतिकूल है और इस प्रकार अमान्य एवं गैर कानूनी है।"

अधिकथित प्रतिपादना:- सरकार पिछड़े वर्गों के अंतर्गत न आने वाले विभिन्न समुदायों के लिए इसके अधीन पदों का आरक्षण नहीं कर सकती।